कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक:जविप्रा/वननि/2003/डी- 76

दिनांक 10/4/2003

विषय : भवन मानिचत्र समिति (ले आउट प्लान) की 47 वीं बैठक

दिनांक 29.3.2003 को 12.00 बजे, जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ठ-1 पर है।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि.स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
1	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रामेश्वरधाम (बी)	विकास भवन गृ.नि.स.स.	रामेश्वरधाम (बी)	बोयतावाला	96	31	6	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर योजना के संबंध में निम्नाकित निर्णय लिए गए। 1 योजना से दो सेक्टर रोड गुजर रही है। अत: निर्णय लिया गया कि सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्डों को समिति द्वारा समायोजित करते हुए संशोधित प्लान प्रस्तुत करें जिसे सचिव जविप्रा द्वारा पत्रावली पर अनुमोदित किया जावेंगा। 2 भूं.स. 31, 53, 5 एल.टी.लाईन से प्रभावित है। एल.टी. लाईन हट जाने पर इन भूखण्डों को नियमित किया जावें। 3 योजना के मध्य से पूर्व-पश्चिम की ओर प्रस्तावित 30 फीट चौडी रोड को 40 फीट रोड अनुमोदित किया गया। एवं भू.स 31, 30 के बीच में प्रस्तावित 30 फीट चौडी रोड को 40 फीट चौडी रोड अनुमोदित किया गया। भूं.स.114 व 116 के मध्य 40 फीट चौडी रोड अनुमोदित की गई। अत: भू.स. 115 निरस्त किया गया।
2	जय अम्बे गृ.नि.स.स. की योजना पूरण विहार	जय अम्बे गृ. नि.स.स.	पूरण विहार	बोयतावाला	94	31	6	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर योजना के संबंध में निम्नाकित निर्णय लिए गए। 1 खसरा नं. 96 समिति की कयशुदा भूमि नहीं है। अत: इस क्षेत्र में प्रस्तावित सभी भूखण्डों को निरस्त किया गया।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-

दिनांक

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव	अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2.	विधायक	माननीय श्री महेश जोशी विधान सभा, जयपुर।
3.	विधायक	माननीय श्री अशोक तंवर, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4.	सदस्य	माननीय श्री राजेन्द्र मावर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5.	वरिष्ठ निजी सचिव	आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6.	निजी सचिव	सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	निदेशक(आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
8.	अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)पूर्व/पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
9.	उपायुक्त जोन ------	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
10.	जनसम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति

परिशिष्ठ '1'

भवन मानचित्र समिति (ले आउट) प्लान की 47वीं बैठक दिनांक 29-3-2003 को प्रातः 12.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष में आयोजित हुई।

क्र.स.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1.	डा. दिनेश कुमार गोयल	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	अध्यक्ष
2.	माननीय श्री अशोक तंवर	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
3	माननीय श्री महेश जोशी	विधायक	राजस्थान विधान सभा	सदस्य
4.	माननीय श्री राजेन्द्र मावर	सदस्य	जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
5.	श्री हेमन्त गेरा	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
					329, 333, 334, 336 से 338, 399, 406, 407, 336/459, 394/ 498, 434/519, 317, 318, 342, 395 से 397, 392, 394, 322, 327, 332, 244, 312, 304, 305, 319 से 321, 301, 309 से 311, 390, 391, 306 से 308, 313, 389, 398, 434, 438, 339, 314 से 316, 388, 335 से 337, 338/456			योजना में शमशान के समीप दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र के दक्षिण की ओर स्थित 60 फीट सडक को 30 फीट किया जावें एवं इस सडक क्षेत्र से बची हुई भूमि को आवासीय भूखण्डों में समायोजित किया जावें, तदुानुसार समिति से संशोधित मानचित्र लिया जावें। 2 जोन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशासक द्वारा योजना में स्थित स्कूल व अस्पताल की की राईट ऑफ एप्रोच हेतु सडक के क्षेत्र के खातेदारों से 60 दिवस में अनापत्ति प्रस्तुत करने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसे भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) द्वारा मान लिया गया। 3 बीपीसी समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि योजना मानचित्र में(पृष्ठ 272/सी) पीले रंग से दर्शायी गई भूमि के लिए जिस पर समिति का स्वामित्व नही है, के संबंध में नियमन से पूर्व समर्पणनामा, इकरारनामा प्रस्तुत किया जावें। 4 11 के.वी. लाईन से प्रभावित भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें 5 एल.टी.लाईन से प्रभावित भूखण्डों का निमयन, एल.टी. लाईन शिपट होने के पश्चात किया जावें। 6 उपरोक्तानुसार संशोधित योजना मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली पर निदेशक, आयोजना द्वारा किया जावें।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
								होने के कारण व 11 के.वी.एच.टी. लाईन से प्रभावित होने के कारण इसका नियमन नहीं किया जावें। 3. दुकानों के सामने पार्किंग हेतू भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण इनका नियमन नहीं किया जावें। 4. एल.टी. लाईन के नीचे स्थित भूखण्डों का नियमन, एल. टी. लाईन शिफ्ट करने के पश्चात किया जावें। 5. भूखण्ड संख्या 28, 28-ए, 28-बी, व 29, 41, 42, का आंशिक भाग सिवाय चक भूमि में होने के कारण एवं इन भूखण्डों को सही एप्रोच नहीं होने के कारण इनका नियमन नही किया जावें। 6. भू.स. 30, 40, 43, 44, 45, के आंशिक भाग को कम करते हुए नियमन किया जावें। जोन द्वारा मानचित्र में यह भाग सिवाय चक दिखाया गया है। 7. भू.स. 18 का आशिक भाग खसरा सीमा से बहार होने के कारण इस भाग को अस्वीकृत करते हुए शेष भाग का नियमन किया जावें।
5	मुहाना गृ.नि.स.स. की सचिवालय नगर योजना के अनुमोदन के संबंध में	मुहाना गृ.नि. स.स.	सचिवालय नगर	लक्ष्मीपुरा तहसील सांगानेर सीतापुरा तहसील सांगानेर	45, 72, 73, 2 से 8, 10 से 14, 43, 49, 5, 6, 68, 7, 48, 50, 54 247 से 249, 323 से 326,		11	1. समिति द्वारा दिए गए योजना मानचित्र में दर्शाये अनुसार भू.स. 396 397 के मध्य स्थित 60 फीट सडक को 160 फीट चौडा किया जावें क्योंकि यह सडक, इस क्षेत्र के लिए बनाए जा रहे ड्राफ्ट सेक्टर प्लान में मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावति 160 फीट सडक को टोंक रोड से लिक करने के लिए एक मात्र सडक है एवं 160 फीट सडक द्वारा इस क्षेत्र को सीधा टोंक रोड से मिलाए जाने पर आवागमन सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से हो सकेगा।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
								2 योजना से 100 फीट चौडी सेक्टर रोड गुजर रही है अत: इस रोड से प्रभावित सभी भूखण्डों को निरस्त किया गया। 3 रेलवे लाईन के मध्य से 150 फीट की दूरी रखते हुए जो भी भूखण्ड इस क्षेत्र में प्रस्तावित है उन सभी को निरस्त किया गया। 4 भू.स. 100 ओर 101 के मध्य प्रस्तावित 30 फीट चौडी रोड को 40 फीट चौडी रोड प्रस्तावित किया गया। 5 स्वामित्व एवं सेक्टर रोड से प्रभावित भूखण्डों को योजना मे समायोजित करते हुए समिति संशोधित प्लान प्रस्तुत करें जिसे पत्रावली पर सचिव जविप्रा द्वारा अनुमोदित किया जावें।
3	सैक्टर प्लान 31 में आंशिक संशोधन बाबत।						6	सेक्टर प्लान 31 बीपीसी की 41 वीं बैठक दिनांक 13.11.2002 में किया गया था उक्त सेक्टर में प्रस्तावित लोहा मण्डी का जो रोड नेटवर्क दर्शाया गया था उसमें अभियान्त्रिकी शांखा द्वारा डिर्माकेशन किए जाने पर रोड नेटवर्क की स्थिति में बदलाव हो गया है जिससे पूर्व-पश्चिम में गुजरने वाली 100 फीट चौडी सेक्टर रोड का एलाईमेंट मौके पर भिन्न हो गया है। पूर्व का रोड नेटवर्क व मौके पर उपलब्ध डिर्माकेटेड रोड नेटवर्क दोनों प्रस्ताव लोहा मण्डी क्षेत्र में आते है तथा इस क्षेत्र में कोई आपत्ति/सुझाव भी प्राप्त नही हुए है। अत: सेक्टर प्लान 31 में आशिक संशोधन को अनुमोदित किया गया।
4.	शिव शंकर गृ.नि.स.स. की नीर सागर बी के अनुमोदन के संबंध में।	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	नीर सागर बी	भांकरोटा	558, 559, 563, 564, 565, 955, 558, 2704, 566, 567		11	1. भूखण्ड संख्या 4, 5 का अधिकांश भाग खसरा सीमा से बाहर स्थित होने, भूखण्ड संख्या 27 में सडक से एप्रोच नहीं होने एवं भूखण्ड संख्या 32, 33 का अधिकांश भाग 11 के.वी. एच.टी. लाईन से प्रभावित होने के कारण इन भूखण्डों का नियमन नहीं किया जावें। 2. भू.स. 46 का आशिक भाग सिवाय चक भूमि में स्थित

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि.स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
6	शिव शंकर गृ.नि.स.स. की योजना श्री राम वाटिका के अनुमोदन के संबंध में।	शिव शंकर गृ.नि.स.स.	श्री राम वाटिका	बगराना	475		10	संशोधित योजना को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।
7	निजी खातेदार योजना (अमित कोनोनाइजर्स लि.) की योजना राणी सती नगर के अनुमोदन के संबंध में।	बिरदा भगवान रामजीलाल व अन्य	राणी सती नगर	पालडी मीणा	607, 801, 802, 803, 804, 745, 753 से 778, 781, 782, 733, 805, 806		10	योजना को निम्न संशोधन के साथ संशोधित योजना मानचित्र को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 1. मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार प्रस्तावित सडक की चौडाई 250' रखी जावें अलग से प्लानटेंशन कोरीडोर नहीं रखा जावें। 2. 250-0' चौडी सडक के क्षेत्र को योजना क्षेत्र में शामिल किया जावें तथा 60: 40 अनुपात में संशोधित योजना मानचित्र स्वीकृत किया जावें। 3. कॉमर्शियल ब्लाक में नियमानुसार सैटबैक छोडने के पश्चात दुकाने प्रस्तावित की जावे। 4. भू-उपयोग परितर्वन की कार्यवाही की जावें। 5. भू.स. 205 को अस्वीकृत किया जावें। 6. वाणिज्यिक व आवासीय भूखण्डों के बीच में 10 फीट चौडी लेन दर्शायी जावें।
8	म्युच्युअल गृ.नि.स.स. की योजना स्कीम नं. 15-सी का भू.स. 49 के संबंध में	म्युच्युअल गृ. नि.स.स.	स्कीम नं. 15-सी			19 एन	6	प्रकरण को स्थगित किया गया।
9	भू.स. 11,12,13, व 14,15, 16 में संशोधन के संबंध में।	दी जयपुर बाल्मिकी गृ. नि.स.स.	ऋषि कॉलोनी	मुरलीपुरा		19	6	प्रकरण में विचार विमर्श कर यह तय किया गया कि रोड के दोनों तरफ के भूखण्डधारियों को बुलाया जावें एवं सचिव जविप्रा दोनों पक्षों की सुनवाई करे।
10	अम्बेडकर गृह निर्माण सहकारी समिति की स्कीम न. 2, में से गुजरने वाली 60 फीट चौडी सेक्टर रोड को	अम्बेडकर गृ. नि.स.स.	स्कीम न. 2,				6	प्रकरण को स्थगित किया गया।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि.स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
	विलोपित करते हुए 30 फीट चौडी से लिंक बाबत।							
11	खुदाबादी गृ.नि.स.स. की योजना कैलाश नगर के संबंध में	खुदाबादी गृ. नि.स.स.	कैलाश नगर	झोटवाडा		17	6	प्रकरण को स्थगित किया गया।
12	खुदाबादी गृ.नि.स.स. की योजना कुमावत कॉलोनी के संबंध में	खुदाबादी गृ. नि.स.स.	कुमावत कॉलोनी			17	6	प्रकरण पर विचार किया गया। प्रश्नगत योजना खुदाबादी गृ. नि.स.स. की योजना कुमावत कॉलोनी के पास स्थित अन्य योजन कैलाश नगर का अनुमोदन रेलवे लाईन के मध्य से 100 फीट की दूरी में किया गया था। तथा मौके पर 70 फीट से 100 फीट तक ही भूमि उपलब्ध है। अत: प्रश्नगत योजना कुमावत कॉलोनी का अनुमोदन रेलवे लाईन की 100 फीट की दूरी पर किया गया।
13	भू.स. ए-23 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।	म्युच्युअल गृ. नि.स.स.	स्कीम नं. 10-बी			17	6	प्रकरण को स्थगित किया गया।
14	अपोलों नगर हा.को.ओ.सो. की योजना विश्वेस्वरिया नगर गोपालपुरा बाईपास की दुकान संख्या 22 से 33 व 33-ए, 33-बी को पुन: स्वीकृति के संबंध में।	अपोलों नगर गृ.नि.स.स. की योजना विश्वेस्वरिया नगर की दुकान सं. 22 से 33, 33-ए, 33-बी को स्वीकृति के संबंध में।	विश्वेस्वरिया नगर	गोपालपुरा			5	बी.पी.सी. (एल.पी.) की बैठक दिनांक 24.7.2002 के निर्णय को रिव्यू कर दुकान सं. 22 से 33, 33-ए, 33-बी को पुन: स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
15	सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. की योजना के भू.0स. 48 पूनम विहार को सडक से मुक्त करने के संबंध में।	सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. की योजना के	पूनम विहार	-	-		9	प्रकरण को स्थगित किया गया।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
		भू.0स. 48 पूनम विहार						
16	राजस्व ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर के ख.न. 129 रकबा .07 हैक्टेयर (700 व.मी.)निजी खातेदार श्री सरायू शर्मा की भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण नर्सरी व ओचार्ड से आवासीय किए जाने हेतू।	निजी खातेदार	-	खोखावास	129	12	4	प्रश्नगत प्रकरण में बाद विचार-विमर्श पश्चात निर्णय लिया गया कि मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर में प्रश्नगत भूमि के आसपास दर्शित नर्सरी व ओचार्ड हेतु भूमि का सेक्टर प्लान जिसमें रोड नेटवर्क दर्शाया गया हो तैयार कर प्रकरण को उसी परिपेक्ष्य में आगामी बीपीसी (एल.पी.) की बैठक में रखा जावें।
17	सिवरेज फार्म एरिया को डवलपमेंट प्लान में दर्शित भू-उपयोग एवं रोड नेट के अनुमोदन के संबंध में।	सिवरेज फार्म एरिया डवलपमेंट प्लान	-	-			5	प्रकरण में विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिया गया:- 1. सिवेरजे डवलपमेंट प्लान में गोपालपुरा बाईपास से स्टेडियम तक प्रस्तावित 100 फीट सडक को सुल्तान नगर योजना से नाले तक 100 फीट ही यथावत रखी जावें नाले के पश्चात स्टेयिम तक उक्त सडक चौडाई 135 फीट रखी जावें। 2. सीवरेज डवलपमेंट प्लान में स्टेडियम से लगती हुई दक्षिण एवं पश्चिम दिशा की ओर प्रस्तावित सडकों की चौडाई 40 फीट से बढाकर 60 फीट की जावें। 3. फूलेबा महिला महाविधालय के पीछे की ओर बसी आवासीय कॉलोनियों के आवागन हेतु प्रस्तावित 9 मीटर सडक को इस महाविधालय के पश्चिमी छोर तक बढाई जाए जिससे यह 9 मीटर सडक स्टेडियम को पूर्व की ओर जाने वाली 60 फीट सडक (नन्दपुरी को जाने वाली सडक) से मिल जाए। उपरोक्त संशोधन सहित प्रकरण में प्राप्त आपत्ति/सुझाव की रिपोर्ट सलंग्न करते हुए प्रकरण को राज्य सरकार की राय हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
18	शिव शंकर भवन गृ.नि.स.स. की योजना भू.स.10 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।	शिव शंकर भवन गृ.नि.स.	भू.स. 10 स्वरूप	-	-		9	प्रकरण को स्थगित किया गया।

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
		स.	विहार					
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर भी विचार विमर्श किया गया								
19	श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि.स.स. की योजना राठौड नगर के भूखण्ड सं. 161 से 165 वं 170 से 181 व 111 के संबंधं में।	श्री छत्रपति शिवाजी गृ.नि. स.स.	राठौड नगर	बीडखातीपुरा	174	3	7	जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त जोन 7 ने बताया कि प्रकरण में सहकारी समिति द्वारा कय की गई भूमि 83828 वर्ग गज थी जिसे 1984 के उप विभाजन स्वीकृति में 83828 वर्ग गज ही माना गया था लेकिन वर्ष 1994 के अनुमोदन के समय योजना का क्षेत्रफल 79218 वर्ग गज मानने से भूखण्ड संख्या 161 से 165 एवं 170 से 181 को पूर्व में अनुमोदित नहीं किया गया। पुनः भू-प्रबन्ध विभाग से पैमाईश कराये जाने के उपरान्त यह पाया गया कि भूखण्ड संख्या 161 से 165 एवं 170 से 181 योजना के ही भूखण्ड है तथा इनमें से दो भूखण्ड 164 एव 165 को भवन मानचित्र समिति द्वारा पूर्व में 22.4.95 को अनुमोदित किया जा चुका है। बाद विचार विमर्श योजना के भूखण्ड संख्या 161 से 163 एवं 170 से 181 को योजना का भाग मानते हुये अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया। चूँकि इन भूखण्डों को अनुमोदित करने से 1688 वर्ग गज राजकीय भूमि भी योजना क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती है अतः इस राजकीय भूमि को छोडते हुए भू.स. 161 से 163 एवं 170 से 181 तक के उस भाग को जो योजना की खसरा बाउण्ड्री तक आता है के अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। ऐसा करने से योजना में आवासीय क्षेत्रफल 62.08 प्रतिशत आता है, जो पूर्व में स्वीकृत आवासीय क्षेत्रफल 62.11 प्रतिशत से कम है।
20	शंकर भवन गृ.नि.स.स. की सत्य कॉलोनी जोन 7	शंकर भवन गृ.नि.स.स.	सत्य कॉलोनी	हीरापुरा		2	7	उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त द्वारा बताया गया खसरा नं. 165 कयशुद्वा भूमि में शामिल नही है जिससे योजना को सम्पर्क सडक उपलबध नही होती है। अतः निर्णय लिया गया कि समिति भूखण्ड स. 10, 11 के बीच की 30 फीट चौडी सम्पर्क

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
								सडक दिए जाने हेतु एवं भूखण्ड सं. एक के दक्षिण में 40 फीट चौडी सैक्टर रोड के भाग को भी योजना में सम्पर्क सडक दिए जाने हेतु खातेदार से खरीदने का इकरारानामा प्रस्तुत करें उसके पश्चात ही योजना में अग्रिम कार्यवाही की जावेंगी।
21	विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रविन्द्र नगर, रविन्द्र नगर-ए, रविन्द्र नगर बी के योजना अनुमोदन के संबंध में।	विकास भवन गृ.नि.स.स.	रविन्द्र नगर, रविन्द्र नगर-ए, रविन्द्र नगर बी	-	5,6, 7/661, 2,3, 10, 11, 16, 9, 72, 73/760, 7/762, 7, 74, 75, 77, 78, 79, 37, 38, 40, 42, 45, 95, 97, 99, 100, 61, 41, 43, 44		9	सहकारी समिति के पदाधिकारियों को सुनकर तीनों योजनाओं के भूखण्डधारियों को समान अनुपात के अनुसार भूखण्डों का क्षेत्रफल कम कर एक ही संशोधित योजना समिति द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात प्रकरण को आगमी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
22	हथरोईगढी गृ.नि.स.स. की योजना मारूति नगर के अनुमोदन के संबंध में।	हथरोईगढी गृ. नि.स.स.	मारूति नगर	खोखाबास	443, 444, 449 से 469, 472 से 477, 486 से 490		9	सम्पूर्ण योजना भूमि की 90 बी के संन्दर्भ में पुनः जॉच की जावें।
23	तोपखाना गृ.नि.स.स. की योजना विष्णुपुरी के भू.स 71 से 77 के सामने की 100 फीट चौडी सडक के मौके की स्थिति के अनुसार निर्धारण के संबंध में।	तोपखाना गृ. नि.स.स.	विष्णुपुरी	दुर्गापुरा	-		5	विष्णुपुरी योजना में दर्शायी 100 फीट चौडी रोड मौके पर 66'-0'' है। मौके की स्थिति के अनुसार 34'-0'' सडक पर सामने के भूखण्डधारियों का अतिकमण है, इसलिए सडक की चौडाई 100' फीट करने हेतु 34 फीट चौडाई की भू-पट्टी विनायक विहार योजना में से ली जावें। विष्णुपुरी योजना के स्वीकृत योजना मानचित्र में दर्शाये योजना क्षेत्रफल के अनुसार

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि.स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
								इन भूखण्डों का नियमन किया जावें।
24	दी बाल्मिकी गृ.नि.स.स. की योजना सीताबाडी के भू.स. 31, 33 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में।	दी बाल्मिकी गृ.नि.स.स.	सीताबाडी के भू.स. 31, 33	-	-		5	प्रकरण को स्थगित किया गया।
25	श्री महाराज गोपालपुरा गृ.नि.स.स. की योजना हनुमान नगर के अनुमोदन के सबंध में।	श्री महाराज गोपालपुरा गृ. नि.स.स.	हनुमान नगर	बिन्दायका	123		5	योजना आवासन मण्डल की अवाप्ति में है इसलिए राजस्थान आवासन मण्डल को इस योजना की भूमि की योजना के संबंध में आवासन मण्डल से जानकारी ली जावें। निर्धारित समय पर प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
26	हरि नगर गृ.नि.स.स. की योजना श्री नाथ नगर के अनुमोदन एवं 160'-0' चौडी सडक के सशोधन के संबंध में।	हरि नगर गृ. नि.स.स.	श्री नाथ नगर	चक गैटोर	90, 67, 68, 69, 70		9	योजना को निम्न संशोधन के अनुसार स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। 1 संस्थानिक क्षेत्र से आवासीय रूप में भू-उपयोग परिवर्तन किया जावें। 2 जिन सडकों की चौडाई 30 फीट से कम है उन्हें 30 फीट किया जावें। 3 योजना की 30 फीट चौडी सडकों की चौडाई 40 फीट की जावें। 4 सैक्टर प्लान में दर्शायी गई 160 फीट चौडी सडक को एजेण्डा में प्रस्ताव के अनुसार संशोधन किया जावें।
27	श्री रामराजपुरा गृ.नि.स.स. की योजना सुन्दर नगर के अनुमोदन के संबंध में।	रामराजपुरा गृ. नि.स.स.	सुन्दर नगर	खोखावास	636 से 639		9	न्यायालय में भूखण्डधारियों ने वाद दायर किया हुआ है इसलिए न्यायालय के निर्णय होने तक प्रकरण को स्थगित रखे जाने का निर्णय लिया गया।
28	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स.स. की योजना गोविन्द नगर के अनुमोदन के संबंध में।	दी फोरेस्ट व्यू गृ.नि.स.स.	गोविन्द नगर	सवाई गैटोर व सूरजपुरा घाटी	334/941, 16		4	सडक क्षेत्र में आने वाले सभी अस्वीकृत भूखण्डों को समायोजित करते हुए समिति से संशोधित योजना मानचित्र लिया जावें।
29	श्रीमति परमजीत कौर के स्वामित्व की ग्राम बोयतवाला तहसील जयपुर के खं.	निजी खातेदार	-	बोयतवाला	96		6	प्रश्नगत प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात आवेदित 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि में मास्टर विकास योजना 2011 जयपुर एवं

ए.सं.	विषय	खातेदार/गृ.नि. स.स.का नाम	योजना का नाम	ग्राम का नाम	खसरा न.	सैक्टर नं.	जोन	निर्णय
	न. 96 रकबा 113 बीघा भूमि ये 25 बीघा 18 बिस्वा भूमि का भू-उपयोग रूपान्तरण हरित पट्टी एवं पार्क से आवासीय (ए.डी.पी. 2011 जयपुर एवं सेक्टर प्लान की प्रस्तावित सडकों की भूमि को छोडते हुए शेष भूमि का)किये जाने हेतु।							उस क्षेत्र के सेक्टर प्लान की सडकों हेतु भूमि काटने के पश्चात (जिसे आवेदक जविप्रा को नि:शुल्क समर्पित करेंगा) शेष भूमि का प्रस्तावित भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने एवं प्रकरण में प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के तहत राज्य सरकार की राय हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।
30	राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा तहसील जयपुर के ख.न. 5 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा का 1/2 हिस्सा राजस्व ग्राम हाथोज के ख. न. 448 रकबा 9 बिघा 7 बिस्वा का 1/3 भाग तथा ख.न. 449 ग्राम हाथोज रकबा 27 बीघा इस प्रकार कुल 110259 व. ग. (285775 + 8167 व.ग.)भूमि पर प्रस्तावित निजी खातेदारों की योजना की भूमि से कालवाड सडक पर इस स्थान पर प्रस्तावित हाईव कन्द्रोलबेल्ट हेतु सडक मध्य से 75 मीटर (प्रत्येक ओर)दूरी से प्रभावित ऑवरटेक भूमि काटने के पश्चात शेष भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किये जाने हेतु।	निजी खातेदार	-	गोविन्दुपरा एव हाथोज	5, 448, एवं 449		7	प्रश्नगत प्रकरण में विचार विमर्श पश्चात प्रस्तावित कालवाड सडक मार्गाधिकार क्षेत्र हेतु 45 मीटर दूरी में आने वाली भूमि को नि:शुल्क जविप्रा में समर्पित करने एवं उसके पश्चात 30 मीटर (सडक के प्रत्येक ओर) प्रस्तावित प्लानटेंशन कोरीडोर हेतु भूमि खुली रखने (kept open) की शर्त पर शेष भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण आवासीय प्रयोजनार्थ करने के निर्णय लिया गया। प्रकरण में यह भी निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25(2) के तहत प्रकरण राज्य सरकार की राय हेतु भिजवाया जावें।

6.	श्री एस.सी.महागावंकर	निदेशक आयोजना	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
7.	श्री ओ.पी.यादव	अति.आयुक्त पश्चिम	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
8.	श्रीमती शुचि शर्मा	अति.आयुक्त पूर्व	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	सदस्य
अन्य अधिकारी उपस्थित				
9.	श्री नीरज तिवारी	उप नगर नियोजक (बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
10	श्री मुकेश मित्तल	उप नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
11	श्रीमति आशा अवस्थी	उप नगर नियोजक (एम.पी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
12	श्री तेजपाल सिंह	उप नगर नियोजक (जोन 5)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
13.	श्री गिरिराज अग्रवाल	उपायुक्त जोन 1	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
14	श्रीमति पुष्पा सत्यानी	उपायुक्त जोन 4	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
15	श्रीमति रश्मि गुप्ता	उपायुक्त जोन 2	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
16	श्री नन्नूमल पाहडिया	उपायुक्त जोन 5	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
17	श्री एन.के. खीचा	उपायुक्त जोन 6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
18	श्री एन.के. गुप्ता	उपायुक्त जोन 7	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
19	श्री खान मोहम्मद	उपायुक्त जोन 10	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
20	श्री महेन्द्र सिंह	उपायुक्त जोन	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
21.	श्री एस.सी.मीणा	जन सम्पर्क अधिकारी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
22	श्री हरि प्रसाद शर्मा	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	
23	श्री मोहम्मद अयूब	सहायक नगर नियोजक	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।	

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति